फेब्रिक चेकर

योग्यता पैक
रेफ. आई.डी.: ए.एम.एच / क्यू0101

क्षेत्र
अपैल्स, मेडअप्स और होम फर्निशिंग

कक्षा
11वीं एवं 12वीं

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई, के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार), श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002 (म.प्र.)
www.psscive.ac.in

व्यावसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी), अनौपचारिक और गैर–औपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। वीईटी विभिन्न टार्गेट ग्रुप्स और शिक्षार्थियों की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों में से केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (एमओई) कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार किए गए वीईटी प्रावधान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जन शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल आकांक्षाओं और शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए स्कूल जरूरी वातावरण प्रदान करते हैं। स्कूली शिक्षा आधारित व्यावसायिक ज्ञान विभिन्न नौकरियों की एन्ट्री–लेवल (प्रवेशात्मक स्तर) जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न सैद्धांतिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है। इनका उद्देश्य छात्रों के उन मूलभूत ज्ञान, कौशल एवं स्वभावगत विशेषताओं का विकास करना हैं जो उन्हें स्किल्ड पशेवर या व्यवसायी बनने में सहायता करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा (स्कूली शिक्षा की एक इन्टीग्रेटेड शिक्षा) के अंतर्गत लागू किया गया है।

श्रम बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने और कुशल जनशक्ति के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के लिए मान्यता प्राप्त है। वीईटी विशिष्ट जॉब रोल्स पर केंद्रित है और इस तरह का व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त करता है। यह न केवल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है।

व्यावसायिक विषयों को 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की संशोधित योजना के तहत पेश किया गया था। इसमें ग्रेड 9 से 12 (4 वर्षीय पैटर्न) में एक जॉबलरोल को पढ़ाया गया था। इस योजना को 2018 में समग्र शिखा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ समग्र शिक्षा में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (एनईपी–2020) में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी–2020 में उचित सामाजिक स्थिति प्रदान करने और सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना (री–इमेजिंग) की गई है।

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग (एएमएचएफ) सेक्टर के बारे

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह विभिन्न तैयार उत्पादों का कच्चे माल से उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में डिजाइनिंग, पैटर्न, कटिंग, सिलाई, परिधान, मेड–अप और होम फर्निशिंग आइटम की फिनिशिंग और सजावट से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

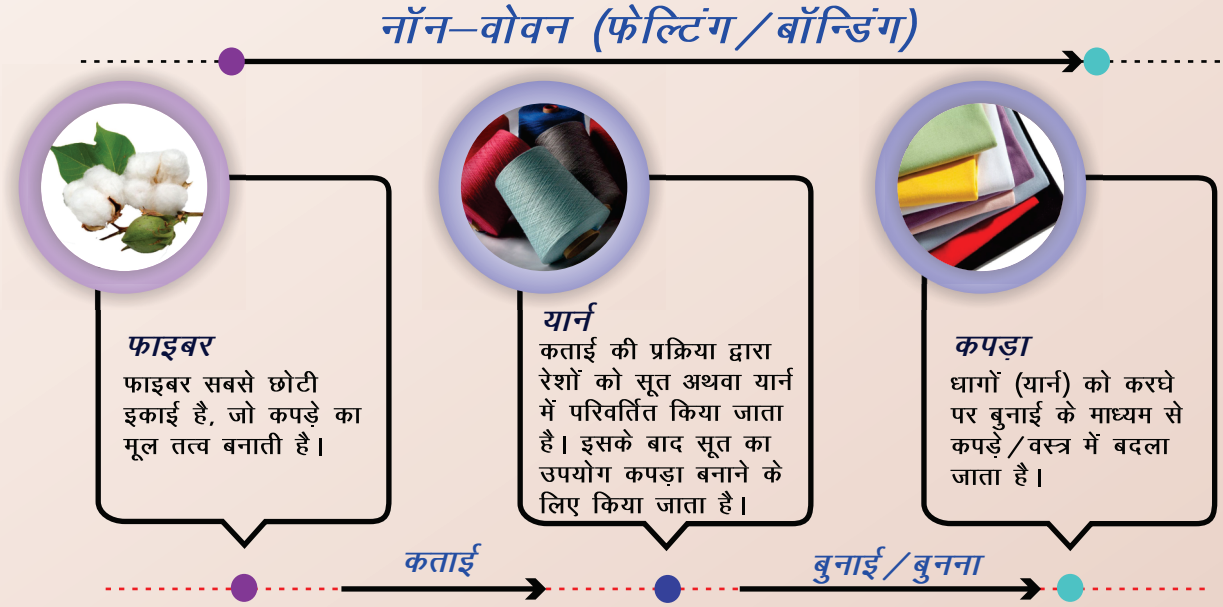

वस्त्र/परिधान उत्पाद विकास योजना के चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निष्पादन होता है।

- नियोजन में डिजाइनिंग, लक्ष्य ग्राहक की पहचान, लागत अनुमान आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- निष्पादन में काटना, सिलाई, फिनिशिंग, पैकिंग आदि शामिल हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- उत्पादों में परिधान, मेड–अप, होम फर्निशिंग और सामान शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

टॅक्सटाइल व अपैरल उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। भारत न केवल कपास, जूट व सिल्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है बल्कि इस उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार देने की भी क्षमता है। इन उद्योगों में लगने वाले मैन पावर की ट्रेनिंग एएमएचएफ सेक्टर के विभिन्न जॉब रोल्स के माध्यम से की जाती है।

उपर्युक्त चित्र भारत के विकास में एएमएचएफ क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। एएमएचएफ ने न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान दिया है, बल्कि निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। यह क्षेत्र देश में रोजगार सृजन में युवाओं के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

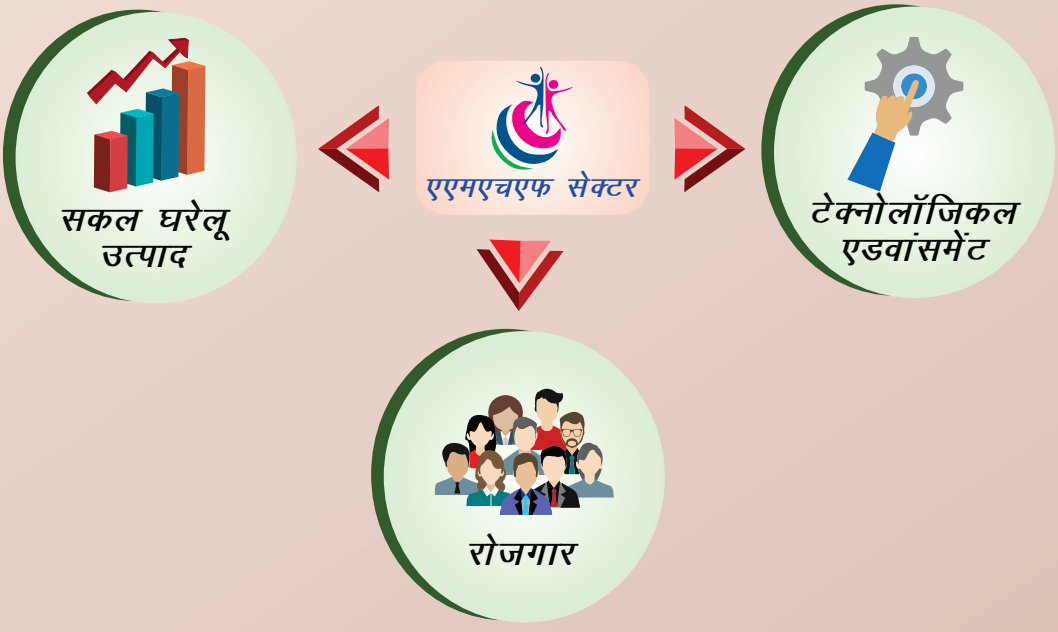

एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

परिधान उद्योग के घटक

एएमएचएफ क्षेत्र को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है:

- फाइबर टू फैब्रिक (कपड़ा उद्योग)
- फैब्रिक टू प्रोडक्ट (परिधान उद्योग)

एएमएचएफ क्षेत्र में कपड़ा उद्योग में फाइबर को धागे या कपड़े (नॉन वोवन) और धागे को कपड़े (वॉवन/निटेड कपड़ा) में बदलना शामिल है। कपड़े को रंगाई, छपाई, कढ़ाई, अलंकरण और परिष्करण तकनीकी का उपयोग करके सुंदर बनाया जाता है।

उपर्युक्त तरीके से कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा उद्योग में इस कपड़े से तैयार परिधान, होम फर्निशिंग वस्तुऐं और एसेसरीस आदि बनाए जाते हैं।

एएमएचएफ से जुड़े अन्य उद्योग हैं:

परिधान उद्योग बहुत ही विस्तृत है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। यह एक डिजाइन विचार से शुरू होता है और परिधान तैयार होकर ग्राहक तक पहुंचने पर खत्म होता है। ये प्रक्रियाएं एक परिधान उद्योग के विभिन्न विभागों द्वारा पूरी की जाती हैं। प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और सभी विभागों का उद्देश्य उचित लागत और समय के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना होता है। विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं–

- मर्चेंडाइजिंग विभाग
- स्टोर विभाग
- कटिंग विभाग
- सिलाई विभाग
- धुलाई विभाग
- परिष्करण और पैकिंग विभाग
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- रखरखाव विभाग
- वित्त और लेखा विभाग
- प्रशासन विभाग

जॉब रोल के बारे में

अपैरल मेड–अप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र में विभिन्न जॉब रोल हैं जिन्हें कोई भी अपने पेशे के रूप में चुन सकता है और अपने कौशल को बढ़ा सकता है। यह क्षेत्र उभरते उम्मीदवारों को नौकरी के कई अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें परिधान उद्योग से संबंधित सभी नौकरियां जैसे पैटर्न मास्टर, स्व–नियोजित दर्जी, हाथ कढ़ाई आदि और स्व–स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय जैसे कढ़ाई इकाई, बुटीक, डिजाइन स्टूडियो आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा एपेरल, मेड–अप और होम फर्निशिंग सेक्टर के तहत जॉब रोल निम्नानुसार हैं:

01	फेब्रिक चेकर
02	इन-लाइन चेकर
03	लेयरमैन
04	माप परीक्षक
05	प्रेसमैन
06	सिलाई मशीन ऑपरेटर
07	कढ़ाई मशीन ऑपरेटर (जिगजैग मशीन)
08	निर्यात सहायक
09	फ्रेमर- कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई मशीन
10	गारमेंट कटर (सीएएम)
11	हाथ की कढ़ाई
12	गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता
13	नमूना करण दर्जी
14	एडवांस पैटर्न मेकर (सीएडी/सीएएम)
15	फेशन डिजाइनर
16	क्यूसी कार्यकारी- सिलाई लाइन
17	मर्चेंडाइजर
18	मशीन रखरखाव मैकेनिक (सिलाई मशीन)
19	निर्यात कार्यकारी
20	निर्यात प्रबंधक
21	सैंपल कोऑर्डिनेटर
22	औद्योगिक अभियंता (आईई) कार्यकारी
23	उत्पादन पर्यवेक्षक सिलाई
24	फैक्टरी अनुपालन लेखा परीक्षक
25	विशेष सिलाई मशीन ऑपरेटर
26	सहायक डिजाइनर- होम फर्निशिंग
27	सहायक डिजाइनर- मेडअप्स
28	सहायक फैशन डिजाइनर
29	बुटीक प्रबंधक
30	कटिंग सुपरवाइजर
31	फेब्रिक कटर-(परिधान निर्मित अप और होम फर्निशिंग)
32	फिनिशर
33	हाथ की कढ़ाई (अड्डावाला)
34	लाइन पर्यवेक्षक सिलाई
35	मर्चेंडाइजर-मेड-अप और होम फर्निशिंग
36	ऑनलाइन नमूना डिजाइनर
37	पैकर
38	पैटर्न मास्टर
39	प्रसंस्करण पर्यवेक्षक (रंगाई और मुद्रण)
40	रिकॉर्ड कीपर
41	स्व-नियोजित दर्जी
42	सिलाई मशीन ऑपरेटर (बुना हुआ)
43	सोर्सिंग मैनेजर
44	स्टोर कीपर
45	वाशिंग मशीन ऑपरेटर

फेब्रिक चेकर इस सेक्टर के महत्वपूर्ण जॉब रोल में से एक है। संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में फेब्रिक चेकर एक आवश्यक व्यक्ति है। फेब्रिक चेकर हर स्तर पर कपड़े का निरीक्षण कर उसे दोषमुक्त रखता हैं, ताकि परिधान, मेड–अप और परिष्करण (फिनिंशिंग) की गुणवत्ता बनी रहे, जिससे उपभोक्ता के लिए अपेक्षित उत्पादन सुनिश्चित होता है। बेहतर रूप से कार्य करने के लिए एक फेब्रिक चेकर को विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों को विशेषज्ञ (एक्सपर्टीस) की सहायता से समझने की आवश्कयता है।

नियम और जिम्मेदारिया

- कपड़े की प्राथमिक जाँच।
- कटिंग यूनिट में देने से पहले कपड़े का निरीक्षण करना आवश्यक हैं, ताकि कपड़े से सभी दोष खत्म हो सकें।
- उद्योग में काम करते समय सावधानियों और सुरक्षा उपायों का पालन करें।
- संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनिमयों का पालन करना।
- संगठनात्मक खतरों के प्रति सतर्क रहें और अधीनस्थों को भी इनके बारे में प्रशिक्षित करना।

स्तर 1 (कक्षा – 11वीं)

इकाई–1 फेब्रिक चेकर की भूमिका और उत्तरदायित्व:

भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ–साथ कपड़े की जाँच की आवश्यकता को समझने के लिए एक फैब्रिक चेकर की आवश्यकता होती हैं। फाइबर, यार्न, यार्न मेकिंग और इसकी शब्दावली की पूरी समझ एक फैब्रिक चेकर को फैब्रिक्स के प्रकारों को समझने में सहायता करती हैं। इसके अलावा, बुनाई और उनके उपयोग का ज्ञान एक फैब्रिक को बाकी फैब्रिक्स से और अलग करने और उसके अनुसार उनका निरीक्षण करने में मदद करता हैं। यह इकाई इन सभी पर विस्तार से चर्चा करती हैं।

इकाई–2 कपड़े के दोषों की पहचान और उनका वर्णन:

यह यूनिट विभिन्न प्रकार के वस्त्र दोषों को विस्तार से समझने में छात्रों की मदद करती हैं। यह छात्रों को रंगाई और छपाई के तरीकों और उनसे जुड़े दोषों के बारे में जानने में भी मदद करता हैं। कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए एक फैब्रिक चेकर को फैब्रिक दोषों का वर्णन करने के लिए विभिन्न निरीक्षण प्रणालियों और मापदंडों के बारे में जानने की आवश्यकता है।

इकाई–3 कपड़े की जाँच के तरीके और तकनीक:

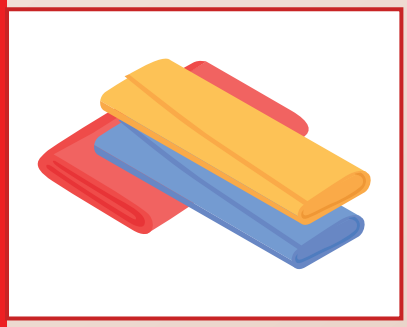

यह इकाई कपड़े की जाँच के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों और मशीनरी के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। कपड़े निरीक्षण मशीन की पूरी समझ और विनिर्देशों के अनुसार कपड़े के नमूनों की जाँच करने के लिए इसकी कार्य प्रणाली को समझाया गया है। आगे छात्र को कपड़े की जाँच करने वाली मशीनों और कार्यक्षेत्र की सुरक्षा और रखरखाव के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

इकाई–4 स्वच्छ ओर जोखिम मुक्त कार्यस्थल:

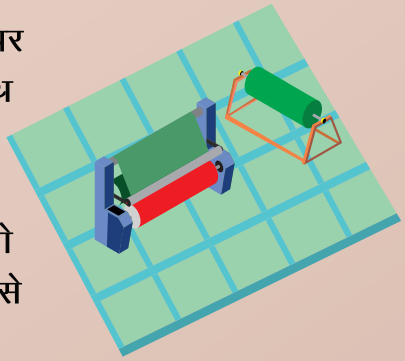

इस इकाई में छात्र स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा का कार्यस्थल पर महत्व तथा कार्यस्थल पर उनके रखरखाव के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वे कर्मचारियों व आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की जिम्मेदारियों के वहन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इकाई में वे कार्यस्थल पर एक ऐसे वातावरण के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे जो सभी कर्मचारियों के लिए शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से लाभदायक हो।

इकाई–5 कार्यस्थल पर लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आचरण:

इस इकाई में छात्र श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उनकी उत्पादकता और दक्षता पर असर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां छात्र विभिन्न संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों, जोखिमों को समझेंगे तथा विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रतिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे, जिनका किसी भी संगठन में कर्मचारियों और परिसर को सुरक्षित रखने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

इकाई–6 कानूनी नियामक और नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन:

इस इकाई में विद्यार्थी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उनकी उत्पादकता और दक्षता पर असर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां छात्र विभिन्न संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों, जोखिमों को समझेंगे और विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रथाओं के बारे में भी जानेंगे, जिनका किसी भी संगठन में कर्मचारियों और परिसर को सुरक्षित रखने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

स्तर 2 (कक्षा–12वीं)

इकाई–1 फेब्रिक चेंकिग की तैयारी:

कपड़े की जाँच के संचालन को पूरा करने के लिए छात्रों को कपड़ा और उनकी निर्माण तकनीकों की प्राथमिक समझ प्रदान की जाती हैं। छात्रों को फैब्रिक फिनिशिंग तकनीक के साथ–साथ पर्यावरण और तकनीक के अनुकूल कपड़ों की समझ प्रदान की जाती हैं। कपड़े की उचित जाँच प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के लिए यह आवश्यक हैं कि वे कपड़े की गुणवत्ता और उसके गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानें जो इस इकाई का हिस्सा हैं।

इकाई–2 कपड़े की जाँच–प्रक्रिया और निष्पादन:

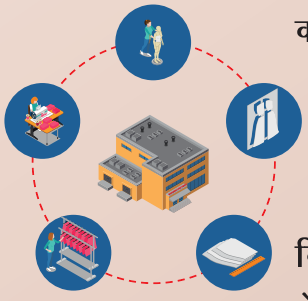

कपड़ो की जाँच का कार्य करने के लिए कपड़ा निरीक्षण विधियों, मानकों और कमिया को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन आवश्यक हैं। यह इकाई कपड़े की जाँच करने वाली मशीन के व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ–साथ छात्रों को विभिन्न कपड़े की जाँच विधियों से अवगत कराती हैं। विभिन्न फैब्रिक कमिया और उनके विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों की उचित समझ के बाद कपड़े में कमियों की जाँच की जाती है।

इकाई–3 कपड़े की जाँच के तरीके:

कपड़े की जाँच प्रक्रिया में गुणवत्ता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार वॉवन और नीटेड कपड़ों के लिए गुणवत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उचित मार्गदर्शन का पालन किया जाता हैं। यह इकाई कपड़े के परीक्षण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक पर्यवेक्षक और रखरखाव की प्रणालियों की भूमिका के महत्त्व की व्याख्या करती हैं। अतः इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हैं। परीक्षण और रिपोर्टिंग सिस्टम में नवीनतम उपकरणों का ज्ञान और उनमें आने वाली समस्याओं का समाधान भी इस इकाई में बताया गया है।

इकाई–4 एक स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यक्षेत्र बनाए रखें:

यहां छात्र एक स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यस्थल के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। वे कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनावश गिरने से रोकने के लिए साफ सतहों, उपयुक्त जूते और चलने की उचित गति के महत्व व उनकी सुनिश्चितता के बारे में भी जानेंगे। सीढ़ियों और गलियारों की सफाई, सूखापन और दुर्घटनाओं को कम करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के बारे में भी इस इकाई में चर्चा की जाएगी।

इकाई–5 कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा:

इस इकाई में छात्र स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा के कार्यस्थल पर महत्व तथा उनकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे। कर्मचारियों के बारे में जानेंगे। वे सुरक्षा से संबंधित जोखिम व आपात स्थितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। छात्र इस इकाई में मशीन व उपकरणों में आने वाली खराबियों को समझने व उसकी रिपेरिंग के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपात स्थितियों की ठीक तरह सूचना प्रदान करने के बारे में भी जानेंगे।

इकाई–6 उद्योग और संगठनात्मक आवश्यकताएं:

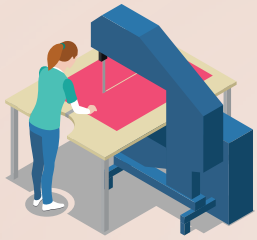

इस इकाई में छात्र संस्थागत नियमों, अनुपालनों व उनमें लगने वाले विभिन्न दस्तावेजों के बारे में पढ़ेंगे। वे ग्राहकों से संबंधित नियमों व इनकी जरूरतों के बारे में भी पढ़ेंगे। नैतिकी बाध्यताएं व उनसे संबंधित दस्तावेज साथ ही साथ इन नियमों से विचलन (डीविएशन) के बारे में भी जानेंगे।

रोजगार के अवसर

फेब्रिक चेकर के दायरे का अनुमान उसके सामने पेश किए गए अवसरों के आधार पर लगाया जा सकता हैं।

- स्व–रोजगार
  - छोटी दुकान का मालिक
  - फेब्रिक चेकिंग में फ्रीलांसर
- सवेतन रोजगार
  - बाइंग हाउस में फैब्रिक चेकर
  - बाइंग एजेंसियों में फैब्रिक चेकर

विकास

पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद फैब्रिक चेकर के लिए विकास के अवसर क्षेतिज और लंबवत दोनों रूप में उपलबध होंगें। अवसर भी बहुकार्यात्मक रूप से नए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जैसेः

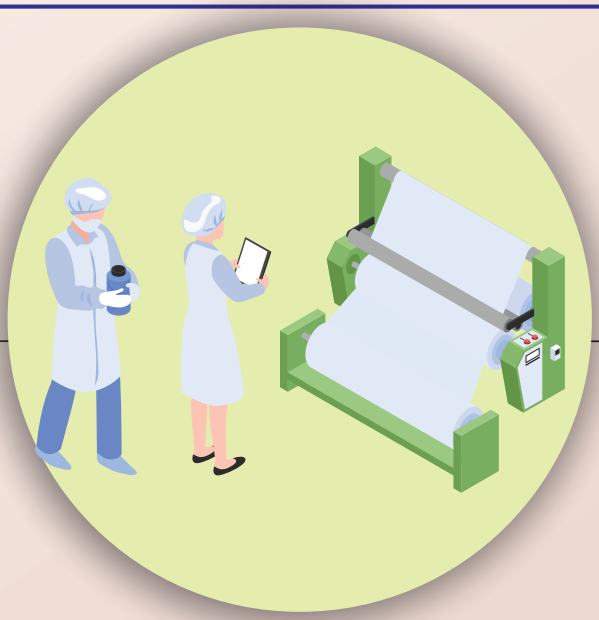

क्षैतिज

- इन–लाइन परीक्षक
- गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षक

लंबवत

- फेब्रिक परीक्षक
- फेब्रिक पर्यवेक्षक
- कपड़ा विभाग में प्रमुख
- परिधान विभाग के निर्यात गृह में प्रमुख

ऑन जॉब प्रशिक्षण

संबंधित उद्योगों जैसेः निर्यात गृह (एक्सपोर्ट हाउस), क्रय गृह (बाइंग हाउस), डिजाइन हाउस, सरकारी और निजी प्रशिक्षण केन्द्र में भी इंटर्नशिप की जा सकती हैं।

PSSCIVE के बारे में

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत [पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.)], भारत सरकार द्वारा 1993 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की एक घटक इकाई है। यह भारत में यू.एन.ई.वी.ओ.सी. (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना) का नेटवर्क केंद्र भी है। संस्थान के पास विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए विभागों के साथ 35–एकड़ में बना हुआ परिसर है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल विज्ञान, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन और मानविकी विज्ञान, की शिक्षा और अनुसंधान का कार्य होता हैं।

संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता–प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च योग्य प्रशिक्षकों की टीम हैं, जो कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट पेशेवर कौशल और अनुभव रखते हैं।

संस्थान ने व्यावसायिक शिक्षा में तेजी से विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, उद्योग की बदलती जरूरतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और कई बार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए है। पिछले 25 वर्षों में संस्थान के विकास ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया हैं, लेकिन ये नए क्षितिज का पता लगाने और स्थानीय और वैश्विक कैनवास पर लोगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को फिर से तैयार करने की संभावनाओं एवं अवसरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

संयुक्त निदेशक
पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्यप्रदेश, भारत
फो.: +91 755 2660691 | फेक्स: +91 755 2927347, 2660580
ईमेल : jd@psscive.ac.in
www.psscive.ac.in | www.ncert2021.psscive.in